

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या-1539, 1540, व 1541/2014..... जिला..... जयपुर.....

चनवान: मैसर्स खाट्टाधाम एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर।

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>09.09.2014</p>	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> <u>श्री मंगोहर पुरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीले अपीलाय प्राधिकारी, द्वितीय प्राथमिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक 27.08.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक 05.08.2014 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 18, 25, 50 व 61, के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष 20010-11, 2011-12 व 2012-13 के संबंध में पारित किये गये हैं, में कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान क्रमशः रु. 7,26,814/-, रु.8,02,813/- व रु.39,39,853/- पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री अग्रवाल, व्यवसाय प्रबंधक एवं विभाग की ओर से श्री के.एस.जाला, सहायक आयुक्त, रितीजन, अजमेर बहरा हेतु दिनांक 08.09.2014 को उपस्थित हुये। समयवधीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री अग्रवाल ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा दरूली पर रोक लगाने के हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कार्रवाई का कोई अंकन नहीं किया गया है, जो असमर्थ आदेश की श्रेणी में आता है। कथन किया कि आलाप्य अवधियों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कर चुकाकर, कच्चा माल कय किया गया है तथा विनिर्माण में काम में लिया गया है जिसमें कॉटन सीड ऑयल केक विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशेष सह-उत्पाद है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त कीत कच्चे माल के कुल खीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ वित्तिक प्राधान्यानुसार ही कलेम किया गया था। अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में कलेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, अनवृत्ती ब्याज व अधिनियम की धारा कसरोपण करना विधिरागत एतम् उचित नहीं है। कथन किया कि कॉटन सीड ऑयल केक पंजीयन प्रमाण पत्र में इन्द्राज होने की शर्त पर कर</p>	<p>लगतार 2</p>

09.09.2014

मुक्त है अन्यथा उक्त कर योग्य है। कथन किया कि सामान्यतया (Generally exempted) नहीं होने के कारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत कर योग्य है। अतः उक्त वस्तु सशर्त कर मुक्त होने के कारण उक्त पर अपीलार्थी द्वारा विधिक रूप से आगत कर का मुजरा चाहा गया था जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, रिवर्स कर, अनुवर्ती व्याज व अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शारित आरोपित की गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धांतों को हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों से भिन्न होने का कथन कर, लागू किये जाने योग्य नहीं है।

विशिष्ट रूप से आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.16(327)टैक्स/वैट/सीसीटी/2006/693 दिनांक 26.10.2007 की ओर ध्यानाकर्षित किया गया। पुनः इस संबंध में कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार हेतु स्वीकार कर ली गयी है। अतः विवादित बिन्दु माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष लम्बित होने का कथन कर, उक्त बिन्दु पर निर्णय होने तक विवादित मांग राशि वसूली योग्य होना नहीं रह गयी है। अतः उक्त आधारों पर प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने का तर्क देते हुये उपरोक्तानुसार प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1889/2012/हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 13.06.2014 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि की विस्तृत विश्लेषण कर, यह अवधारित किया है कि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विधिक प्रावधानों के नददेनजर प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं। अतः प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।


उभयपक्षीय बहस पर ननन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् उक्त विवादित बिन्दु के संबंध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टान्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 व कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2014 में प्रतिपादित सिद्धांतों व अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र

09.09.2014

अस्वीकार किये जाते हैं। जहां तक माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्गरित न्यायिक दृष्टांत के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की कियान्विति पर रोक नहीं लगायी गयी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, कायम की गयी है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।  
मनोहर पुरी 09/09/2014  
(मनोहर पुरी)

सदस्य

  
9.9.2014  
(मदन लाल)

सदस्य